निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 243/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

इलाहाबाद बैंक शाखा कार्यालय जयपुरिया मेंशन, कार्पोरेट फाईनेन्स शाखा पांच, एम आई रोड, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स शिवम एग्रो इण्डस्ट्रीज
   195, जेएसईएल बिल्डिंग, जे एल एन मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर,
   खसरा नम्बर 490, सेवापुरा रोड, गांव बेनाडा, बस्सी, जिला जयपुर ।
2. राजा जयपुरिया पुत्र स्व॰ श्री अनूप जयपुरिया
   62, जयपुरिया हाउस, ब्रह्मपुरी, जयपुर ।
   195, जेएसईएल बिल्डिंग, जे एल एन मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर।
3. अकित सिंघल पुत्र श्री प्रकाश चन्द
   नई अनाम मण्डी भरतपुर राजस्थान एवं
   195, जेएसईएल बिल्डिंग, जे एल एन मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

अप्रार्थीगण
ऋण एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–विभागीय प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से ।

दिनांक 1-10-2019

आदेश

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को 05.07.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में चल सम्पत्ति हाईपोथीकेटेड All plant & Machinery, stock, book-debts & furture current assets lying at khasra No. 490, Sevapura Road, Village- Benada, Bassi, Jaipur तथा अचल सम्पति मैसर्स शिव एग्रो इण्उस्ट्रीज के स्वामित्व की सॅम्पत्ति औद्योगिक संपरिवर्तित भूमि प्लाट नम्बर एनएए खसरा नम्बर 490, सेवापुरा रोड, ग्राम बेनाडा, बस्सी, जिला जयपुर क्षेत्रफल 5614.80 वर्गमीटर को बन्धक बना कर कुल 235 लाख रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.06.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

अपने पास हाईपोथीकेटेड एवं बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी ऋणी उपस्थित नही है।

3. प्रार्थी के विभागीय प्रतिनिधि को गौर सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.06.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा बकाया ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। धारा 13 (2) का नोटिस प्राप्ति की पुष्टि में अप्रार्थी ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में चल सम्पत्ति हाईपोथीकेटेड All plant & Machinery, stock, book-debts & furture current assets lying at khasra No. 490, Sevapura Road, Village-Benada, Bassi, Jaipur तथा बन्धक अचल सम्पति मैसर्स शिव एग्रो इण्डस्ट्रीज के स्वामित्व की सॅम्पत्ति औद्योगिक संपरिवर्तित भूमि प्लाट नम्बर एनएए खसरा नम्बर 490, सेवापुरा रोड, ग्राम बेनाडा, बस्सी, जिला जयपुर क्षेत्रफल 5614.80 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

6. आदेश आज दिनांक 1-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर